

प्रेपक,

श्री बी० के० शर्मा,
सचिव वित्त,
३० प्र० शासन।

सेवा में,

१. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

विषय :टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

वित्त (लेखा) उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-५, भाग-१ के परिशिष्ट-XVIII में दिये गये "भण्डार क्रय नियमो" तथा परिशिष्ट-XIX में शासन की ओर से "संविदा" अथवा "अनुबन्ध" किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासकीय कार्यों के सम्बादन में पारदर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :-

(क) टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा टेण्डर डाकूमेंट्स का उपलब्ध कराया जाना-
टेण्डर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की दृष्टि से आईटी०१० एवं इलैक्ट्रॉनिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : १७९४/७०-आईटी०१०-२०००, दिनांक : ०८ नवम्बर, २००० के बिन्दु संख्या : १७ के अनुसार शासन के विभागों द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा टेण्डर फार्म की प्रति www.upinfo.org की साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) टेण्डरों को फाइनल किया जाना-

(१) निर्माण कार्यों के कानूनेकृत तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में क्रय अनुबन्ध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) सामान्यतः न की जाए। यदि निगोशियेशन द्वारा निविद प्रकारण में 'संविदा' निष्पादित किया जाना अनिवार्य हो तो सभी निविदाताओं (जो अहंता क्षेत्र में आते हैं) से बातचीत (निगोशियेशन) की जाय।

(२) जिन मामलों में "टेक्निकल बिड" तथा "फाइनेशियल बिड" दी जानी होती है, उनमें "टेक्निकल बिड" के मूल्यांकन के निष्पक्ष मापदण्ड (आब्जेक्टिव क्राइटेरियन) होने चाहिए। इन सम्बन्ध में विभागों द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन (Quantitative evaluation) हेतु मानक मापदण्ड निर्धारित किये जायें। मानक मापदण्डों का उल्लेख टेण्डर डाकूमेंट में भी किया जाये। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में किसी ऐसे बिन्दु या मापदण्ड पर विचार नहीं किया

जायेगा। जिसका उल्लेख टेंडर डाकूमेन्ट में न किया गया हो।

(3) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड की कण्डीशंस अथवा बिड्स के मूल्यांकन के मापदण्ड शिथिल नहीं किये जाये। इनमें कोई परिवर्तन भी अनुमन्य नहीं होगा, इस आशय का उल्लेख टेंडर नोटिस (एनआईसी०) में ही कर दिया जाये।

(4) टेक्निकल बिड्स/प्री क्वालीफिकेशन बिड्स में किसी टेंडरदाता द्वारा शर्तों की पूर्ति न होने अथवा आब्जेक्टिव मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम मानक तक न पाये जाने की दशा में फाइनेशियल बिड्स पर विचार न किया जाये। टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड के विषय में अनिम निर्णय हुये वर्गे फाइनेशियल बिड को किसी भी दशा में खोला नहीं जायेगा।

(5) सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त टेंडर के मूल्यांकन की व्यवस्था फ्री क्वालीफिकेशन/टेक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेंडर की दर को स्वीकार करते समय टेंडर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे।

(6) प्राप्त निविदाओं को "फाइल" करने में नियमों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्य सीमा से अधिक "विचलन" कहुया न किया जाये। पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेंडर के आधार पर पुनः नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों, के लिए 'रिपोर्ट आर्डर' नहीं दिये जायें। इस सम्बन्ध में स्वीकृत कार्यों को यथा संभव ढुकड़ों में न बांटा जाये। यदि ऐसा किया जाये तो उसका कारण डिलिखित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर-१ में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही में सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस शासनादेश के द्वारा सम्बन्धित नियमों, एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु टेंडर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

भवदीय,
(बी०फ० शर्मा)
सचिव, वित्त

संख्या : ए-१-११७३(१)/दस-२००१-१०(५५)/२०००, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ३०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- सचिव, विधानसभा/विधान परिषद्, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 6- निदेशक, कोषागार, ३०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(आर० क० शर्मा)
संयुक्त सचिव